<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक आर.एन. 11–1 / 650 / 1993 विरूद्ध पारित आदेश दिनाक 18.09.1992 द्वारा अपर आयुक्त, सागर ~~अनुविभागीय अधिकारी, [illegible], जिला दतिया~~ के प्रकरण कमांक–367 / अ–19 / 89–90

कौशल्या पुत्री रज्जू अहीर निवासी ग्राम डडिया,
तहसील लौंडी जिला छतरपुर ।

..........आवेदक

विरूद्ध

1–रामबाई पत्नी सौखी अहीर मृतक के वारिसान–

1–वड़ईया

2–हलवईया

3–रतना एवं 4– विठवा पुत्रगण रामबाई,

निवासी ग्राम–डडिया तहसील लौड़ी जिला छतरपुर म0प्र0 ।

2–रामाधार तनय रज्जू अहीर निवासी डडिया, तहसील–लौड़ी
जिला छतरपुर म0प्र0 ।

..........अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक–1 के वारिस क.2

: आ दे श ::

(पारित दिनांक– 2 - 12 - 2015)

निग0प्र0क0 आर.एन. दो–एक / आर–650 / 93

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर सम्भाग द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.09.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि विवादित भूमि कमांक 173, 177,161, 162, 167, 168 कुल 6 रकवा 1.708 है0 का पट्टा मोतीलाल अहीर के नाम हुआ था । मोतीलाल अहीर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का वारिसान नामांतरण रामबाई के नाम किया गया । किन्तु वर्ष 1984–85 में तहसीलदार लौड़ी द्वारा संशोधन एवं नामांतरण पंजी कमाक–17 ग्राम डाडिया पर पारित आदेश दिनांक–26.12.1985 के द्वारा अनावेदिका रामबाई का कब्जा न होने की टीप के साथ उक्त विवादित भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए गये । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक–26.12..85 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी । जो प्रकरण कमांक–95 / अ–19 / 89–90 में पारित आदेश दिनांक–16.08.1990 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां पर अपील प्रकरण कमांक–367 / अ–19 / 1989–90 में पारित आदेश दिनांक–18.09.1992 से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के उक्त दोनों विवादित आदेशों को निरस्त करते हुए भूमि पूर्ववत रामबाई के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गये । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक–18.09.1992 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के प्रस्तुत की गयी है ।

3– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव के तर्क श्रवण किए गये । उनके द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि विवादित भूमि पर पट्टेदार मोतीलाल एवं उसके वारिस रामबाई द्वारा खेती न करने के कारण नियमानुसार तहसीलदार द्वारा उक्त विवादित भूमि को शासकीय घोषित कर आवेदिका का कब्जा पाये जाने के आधार पर विधिवत पट्टा तहसीलदार द्वारा किया गया था तथा विधिवत नियमानुसार ही तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को शासकीय घोषित किया गया था।ऐसी स्थिति में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि अनुकूल है जिसे अपर आयुक्त द्वारा गलत तरीके से एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर निरस्त किया गया है । इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जो अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिका में तथा निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित

किया जा कर दुहराने की आवश्यकता नहीं है । उक्त तर्को के साथ निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

प्रकरण में अनावेदक कमांक–1 वारिस कमांक–2 के अतिरिक्त शेष अनावेदक पूर्व से ही प्रकरण में अनुपस्थित होकर एकपक्षीय है । अनावेदक कमांक–1 के वारिस कमांक–2 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि पूर्व भमिस्वामी मोतीलाल को जो पट्टा प्राप्त हुआ था उसकी मौत के बाद उस भूमि का वारिसान नामांतरण उसकी पुत्री रामबाई के नाम पर हुआ था जिसे तहसीलदार द्वारा निरस्त करने की अधिकारिता नहीं थी इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अनुचित रूप से अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर नामांतरण पंजी कमांक–17 ग्राम डडिया पर पारित आदेश दिनांक–26.12.85 अधिकार विहीन होने से तथा तहसीलदार के इस आदेश को स्थिर रखने का आदेश जारी करने वाले अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–16.08.90 भी विधिविरूद्ध होने से अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गयी है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदिका मोतीलाल की एक मात्र पुत्री होकर वैध वारिस थी जो उनकी संपत्ति की वारिस थी तथा मोतीलाल को उक्त विवादित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त थे । यह भी कहा गया कि आवेदिका कौशल्या को गलत तरीके से पट्टा दिया गया था क्योंकि मोतीलाल का कौशल्या से कोई रिश्ता नहीं है । इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व्यक्त किए गये थे, जिन्हें दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं है । अपर आयुक्त का आदेश विधिवत होने से उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन करते हुए निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

प्रस्तुत तर्को के अनुकम में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि ग्राम डडिया पटवारी हल्का कमांक–36 रा.नि. मण्डल, वछौन तहसील लौड़ी की नामांतरण पंजी कमांक–17 दिनांक–2.12.85 पर यह टीप अंकित है कि रामबाई पुत्री मातीलाल अहीर शासकीय पट्टेदार । इसके अतिरिक्त पटवारी द्वारा टीप अंकित की गयी है कि खातेदार मोतीलाल के नाम शासकीय पट्टा हुआ था मोतीलाल फौत हो गया है वारिस पुत्री रामबाई ने भूमि सुधार कर लिया है । पट्टा अपील/निगरानी में निरस्त नहीं हुआ, कोई सरकारी सम्पत्ति नहीं है । पटवारी की उक्त टीप के बाद प्रमाणीकरण अधिकारी तहसीलदार द्वारा भूमि कमांक–161, 162, 167, तथा 168 निस्तार पत्रक में अंकित होने तथा 173, एवं 177 पड़ती होने से शासकीय दर्ज करने के आदेश दिनांक–26.12.85 को दिए गये हैं । नामांतरण पंजी में अंकित उक्त टीप एवं आदेश के संबंध में विचारणीय बिन्दु यह है कि तहसीलदार द्वारा शासकीय घोषित करने से पहले यह देखना चाहिए था कि भूमि मोतीलाल को

किस आधार पर पट्टे पर पाप्त हुई तथा उसका नामांतरण उसकी पुत्री रामबाई के नाम हुआ है यह भी प्रमाणित पटवारी टीप से हो रहा है । पटवारी टीप से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि उक्त पट्टे से प्राप्त भूमि को किसी निगरानी अथवा अपील में किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है । जब पट्टा हुआ है तथा किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तब तहसीलदार को शासकीय घोषित करने का अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का उक्त आदेश दिनांक–26.12.85 विधि विरूद्ध होने तथा इस आदेश को बिना तथ्यात्मक परिशीलन के स्थिर रखने वाले अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–16.08.1990 के बलहीन होने से अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गयी है ।

अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–18.09.1992 का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से विवेचना की गयी है कि जब विवादित भूमि मोतीलाल को पट्टे पर दी गयी थी जिसके संबंध में नामांतरण पंजी में स्पष्ट टीप अंकित है कि वह पट्टा किसी निगरानी अथवा अपील में निरस्त नहीं किया गया है तब इस स्थिति में भूमि पूर्व पट्टेधारी मोतीलाल की पुत्री के नाम अंकित होना चाहिए । यदि पट्टा नियम विरूद्ध दिया गया था तथा पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया था तब विधिवत पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जाना चाहिए थी किन्तु इसमें ऐसी कोई कार्यवाही परिलक्षित नहीं हो रही है । प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि नामांतरण के समय भूमि उत्तराधिकारी को नामांतरित न करते हुए शासकीय दर्ज करने के विधिविरूद्ध आदेश दिए गये है जो अवैधानिक एवं संहिता में तहसीलदार को प्रदत्त शाक्तियों के विपरीत है । तहसीलदार को संहिता में पट्टा स्व-विवके से निरस्त करने के अधिकार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक–18.09.1992 विधिसंगत एवं नीतिगत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपर आयुक्त का उक्त आदेश स्थिर रखा जाता है । निगरानी अस्वीकार की जाती है । आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर